तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	माध्यमिक स्तर पर डिक्री किया जाता न्यायसंगत होकर उचित है। पत्रावली वास्ते डिक्री प्राथमिक आदेश में दिनांक 13/8/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 26/7	
13 8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीया एवं वादीया स्वयं ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादीप्रकरण में धारा 88 खातेदारी घोषणा की सहायता चाहती है। धारा 53, बेटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की राहत को विड्रो कराना चाहती है। वादीया को संयुक्त खातेदार घोषित को लक्ष्मण के वारिसान के साथ संयुक्त खातेदार घोषित किया जावे। इस पर वकील वादीया को एवं वादीया को सुना गया वकील वादीया ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 की दावे को विड्रो करना स्वीकार किया गया इसलिए वादीया द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है। तथा धारा 53, 188 को विड्रो की अनुमति दी जाती है। पत्रावली वास्ते आदेश निर्णय मे दिनांक 10/9/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 13/08/24	नो कमला (हस्ताक्षर)
10 9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीया उपस्थित। वादीया द्वारा प्रस्तुत किये गये वादपत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। वादीया द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ग्राम मरनेड़ में खाता संख्या 530 में वर्णित आराजियात नम्बर 1835, 1835 व खाता संख्या 529 में वर्णित आराजी नम्बर 45 स्थित है जो वादीया को एवं प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी की है जिसमें वादीया का एक हिस्सा बनता है। खाता संख्या 530 में वर्णित आराजियात में वादीया का 1/8 हक हिस्सा व खाता संख्या 529 मे वर्णित आराजी में ...	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2024.11.20 10:33:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी डूंगला

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बनने से इसी हक हिस्से के अनुसार खातेदारी की घोषणा बाबत वाद पत्र पेश किया गया है। वादीया द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद पत्र को बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 1,2,3,4,6 व 8 की ओर से श्री प्रहलाद सिंह शक्तावत एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जवाब हेतु अवसर चाहा गया। प्रतिवादी संख्या - 5 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश है। प्रतिवादी संख्या - 7 के फौत हो जाने से वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा. दी. का पेश किया गया जिसकी नकल प्रतिवादी अधिवक्ता को दिलाई गई। प्रतिवादी अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा. दी. का जवाब नहीं देना चाहते है इसलिए संख्या - 7 के वारिस रतनी बाई को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रस्तुत हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा. दी. को स्वीकार किया गया तथा संशोधित टाईटल पेश हुआ जिसको शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 1,2,3,4,6 व 8 के अधिवक्ता बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया है। प्रतिवादी संख्या - 7 वारिसान 1/7 रतनी बाई से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। तथा पत्रावली को साक्ष्य हेतु नियत की गई। साक्ष्य वादीया में वादीया का शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 जा. दी. का पेश हुआ जिस पर वादीया का बयान करायें कराये गये तथा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेज जमाबन्दी की नकले प्रदर्श - 1 से लगायत 7 तक प्रस्तुत की गई जिस पर प्रदर्श नम्बर डालकर प्रदर्श की गई। साक्ष्य वादी में गवाह भेरूलाल पिता शंकर लाल मेघवाल निवासी अरनेड व गवाह शंकर लाल पिता भूरा लौहार का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जा. दी. का पेश हुआ जिन पर गवाहों के बयान कराये गये। वकील वादीया अब और कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं इसलिए वादीया की साक्ष्य बन्द कर पत्रावली को एक पक्षीय बहस में नियत की गई। वकील वादीया ने बहस में कथन किया गया कि वाद पत्र में वर्णित आराजियात में वादीया की आराजी नम्बर 1835, 1836 में 1/8 हक हिस्सा व आराजी नम्बर 45 मे 1/2 हक हिस्सा की खातेदारी की घोषणा कर वादीया का वाद पत्र को स्वीकार कर वाद प्रकरण में इसी हक हिस्से [illegible] किया जावे। अनुसार विभाजन करने हेतु प्राथमिक [illegible] पत्रावली डिक्री आदेश [illegible] की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2024.11.20 10:33:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

→

दिनांक 13-8-2024 को वादीया एवं इनके अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि पत्रावली साक्ष्य होकर बहस आदेश मे है। वादीया बंटवाड़ा नहीं कराना चाहती है तथा स्थायी निषेधाज्ञा की राहत भी वर्तमान नही लेकर केवल धारा 88 खातेदारी घोषणा चाहती है विपक्षगण की व स्थायी निषेधाज्ञा की राहत को विड्रो करना चाहती है। इस सम्बन्ध में वकील वादीया को सुना गया वकील वादीया ने धारा 53, 188 की दावे को विड्रो करने से सहमत है। इसलिए वादीया द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा धारा 53, 188 की दावे को विड्रो करने की अनुमति प्रदान की जाती है। वादीया को वादपत्र में वर्णित धारा 88 के तहत खातेदार घोषित किया जाना उचित है। अतः वादीया का वादपत्र को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम अरनेड़ की आराजी नम्बर 1835, 1836, मे वादीया को 1/8 हक हिस्सा की व आराजी नम्बर 45 में 1/2 हक हिस्सा की खातेदार घोषित करने की घोषणा की जाती है। डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब होकर संलग्न पत्रावली हो। निर्णय खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर लेकम हो।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

Signature Not Verified

Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2024.11.20 10:33:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner